तथा रास्ते का अभाव हस्तगत प्रकरण में सिद्ध पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 10.06.2024 में वर्णनानुसार अप्रार्थीगण के खेत् खसरा नं. 1112 व 1113 में से माफिक नजरी नक्शा एवं तकमीना वर्तमान नवीनतम डी.एल.सी. दर से प्रतिकर राशि के एवज में रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

यत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता एवं कृषि प्रयोजनार्थ आने व जाने अथवा संसाधनो को लाने ले जाने के लिए मार्ग का अभाव सिद्ध होने के कारण माफिक नजरी नक्शानुसार ग्राम खियांला तहसील जायल के खसरा नं. खेत खसरा नं. 1112 व 1113 में से तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 10.06.2024 के अनुसार लाल स्याही से डोटेट मार्क बिन्दु ए से बी के अनुसार 15 चौड़ाई व 741 फीट लम्बाई का रास्ता स्वीकृत व घोषित किया जाता है। तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 10.06.2024 हस्तगत प्रकरण में निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे उक्त ग्राम खिंयाला तहसील जायल के खसरा नं. खेत खसरा नं. 1112 व 1113 में से रास्ते के उपयोग हेतु आने वाली भूमि के एवज में प्रभावित खातेदार कृषक को प्रार्थी सालगराम सुरेश बिडियासर से भूमि की वर्तमान नवीनतम डी.एल.सी. दर अनुसार 2 गुणा राशि (माफिक मौका रिपोर्ट/तकमीना) का नियमानुसार भुगतान कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करे एवं उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरान का रहन यथावत रखते हूए तथा माफिक आदेश बाद अपील मियाद के न्यायालय आदेश के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे तदनुसार तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 12/08/24 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल

Scanned with CamScanner